कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4– सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1187/XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 16 फरवरी, 2017

सेवा में,

डा0 रवि रस्तोगी,
संस्थापक एवं राष्ट्रीय मुख्य संयोजक,
हिमायल और हिन्दुस्तान, वीरभद्र,
ऋषिकेश।

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

1. बिन्दु संख्या–01 में चाही गयी सूचना के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता से संबंधित 06 पृष्ठ प्रेषित किये जा रहे हैं।
2. बिन्दु संख्या–02, 03 एवं 04 में चाही गयी सूचना के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग की वेब–साईट http//eci.nic.in पर मीडिया कम्पेडियम 2017 पर उपलब्ध है जिसका अध्ययन किया जा सकता है एवं मीडिया से संबंधित निर्देशों की कम्पेडियम में 179 पृष्ट है जिसमें प्रति पृष्ट 02.00 की दर से भुगतान करने के पश्चात प्राप्त किया जा सकता है।
3. बिन्दु संख्या–05 में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि भविष्य में आपके पत्रांक संख्या के क्रम में आपको उक्त प्रयोजन हेतु अवगत कराया जायेगा।
4. बिन्दु संख्या–06 में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा चलाये जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान से कोई आपत्ति नहीं है।
5. बिन्दु संख्या–07 में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि इस हेतु प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालयों के कन्ट्रोल रूम नम्बरों की सूची संलग्न है एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सम्पूर्ण राज्य की निर्वाचन संबंधी समस्त सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका नम्बर– 0135–2713757 एवं टोल फ्री नम्बर–1800–121–1950 स्थापित किया गया है।
6. बिन्दु संख्या–08 एवं 09 में चाही गयी सूचना के क्रम में संबंधित निर्देशों 08 पृष्टो की प्रति संलग्न प्रेषित है।
7. बिन्दु संख्या–10 में चाही गयी सूचना के क्रम में 12 पृष्टो की प्रति संलग्न प्रेषित है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैंः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B.S. Rawat 16-2-17

(बी0 एस0 रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

स्थापना – 30 दिसम्बर 2006

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन

AIVRWA
ALL INDIA VOTERS RIGHTS & WELFARE ASSOCIATION
ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन
वीरभद्र (ऋषिकेश) 249 202
देहरादून, उत्तराखण्ड
What's App No. 09897340067

संस्थापक एवं राष्ट्रीय मुख्य संयोजक
डॉ0 रवि रस्तोगी
चीफ एडिटर – हिमालय और हिन्दुस्तान

हिमालय और हिन्दुस्तान, वीरभद्र (ऋषिकेश) 249202
पो.बॉ.नं. 56, मुख्य डाक घर ऋषिकेश – 249 201 देहरादून, उत्तराखण्ड
E-mail: aivrwa2006gmail.com, drravirastogi@gmail.com 09897340067

पत्रांक: AIVRWA / RTI / 09 / 2017 दिनांक: 20/01/17

सेवा में,

मान्नीय लोक सूचनाधिकारी महोदय
मुख्य निर्वाचन कार्यालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(राधा रतूड़ी)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

मान्यवर,

सूचनाधिकार कानून 2005 के अन्तर्गत निम्न जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें। नियमानुसार दस रूपये का भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न है। सूचनाधिकार द्वारा जानकारी लेने का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक कर मतदान हेतु प्रेरित, प्रोत्साहित करना तथा राज्य में शान्तिपूर्ण मतदान कराने में जागरूक मतदाता के रूप में शासन प्रशासन को सहयोग कराना आदि है। आपसे विनम्र निवेदन है कि जानकारी भेजकर प्रोत्साहित करे व सहयोग प्रदान करें।

1– चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता की जानकारी देने की कृपा करें।
2– प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के लिए जारी दिशा निदेश की जानकारी देने की कृपा करें।
3– निर्वाचन आयोग की नजरों में पेड न्यूज किसे मानी जाएगी, जानकारी देने की कृपा करें।
4– पेड न्यूज छापने पर प्रिंट मीडिया के विरूद्ध क्या कार्यवाही हो सकती है जानकारी देने की कृपा करें ताकि प्रिंट मीडिया को भी जागरूक किया जा सके।
5– हमारे संलग्न पत्रांक AIVRWA-02/2017 दिनांक 01/01/2017 पर यदि आपने कोई प्रोत्साहन पत्र व जानकारी भेजी हो तो जानकारी देने की कृपा करें।
6– यदि आप को हमारे इस मतदान जागरूकता अभियान से कोई आपत्ति होतो अवगत कराएं।
7– चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों, शान्तिभंग करने वालों, आचार संहिता का उल्लघंन करने वालों एवं चुनाव में निष्क्रिय अधिकारियों की शिकायत करने और मतदान हेतु किसी भी प्रकार की जानकारी लेने हेतु सम्पर्क सूत्र, नम्बर, व्हाट्सअप नं0, की जानकारी देने की कृपा करें। जहां से त्वरित कार्यवाही हो सके।
8– वृद्ध, सीनियर सीटीजन, दिव्यांगों (विकलांगों) एवं लकवाग्रस्त मतदाताओं के लिए मतदान की क्या व्यवस्थाएं रहेंगीं। जानकारी देने की कृपा करें।
9– ऐसे लकवाग्रस्त मतदाता जो चलफिर नहीं सकते परन्तु उन्हें मतदान करने की इच्छा है तो उनकी मतदान की इच्छा पूरी करने के लिए आपके द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं जानकारी देने की कृपा करें।
10– आपके द्वारा मतदाताओं के हितों व अधिकारों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसकी जानकारी देने की कृपा करें।

23/1/17

डॉ0 रवि रस्तोगी
संस्थापक एवं राष्ट्रीय मुख्य संयोजक

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन के कार्य एवं उद्देश्य

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें ग्राम पंचायत से लेकर माननीय संसद तक के चुनाव में मतदान हेतु प्रेरित, प्रोत्साहित एवं जागरूक करना, प्रचार प्रसार करना, प्रशिक्षण देना, माननीय चुनाव आयोग, चुनाव अधिकारियों एवं पुलिस – प्रशासन को शान्तिपूर्ण अधिक से अधिक मतदान कराने में सहयोग करना आदि है।

यदि मतदान करना प्रत्येक मतदाता का कर्त्तव्य और अधिकार है तो मतदाता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना व सुविधाएं देना केन्द्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि पंचायतों से लेकर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के निर्माण में मतदाताओं की अहम् भूमिका होती है।

स्थापना - 30 दिसम्बर 2006

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन

ALL INDIA VOTERS RIGHTS & WELFARE ASSOCIATION
VOTE AIVRWA
ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन
वीरभद्र (ऋषिकेश) 249 202
देहरादून, उत्तराखण्ड
What's App No. 09897340067

संस्थापक एवं राष्ट्रीय मुख्य संयोजक
डॉ0 रवि रस्तोगी
चीफ एडिटर - हिमालय और हिन्दुस्तान

हिमालय और हिन्दुस्तान, वीरभद्र (ऋषिकेश) 249202
पो.बॉ.नं. 56, मुख्य डाक घर ऋषिकेश - 249 201 देहरादून, उत्तराखण्ड
E-mail: aivrwa2006gmail.com, drravirastogi@gmail.com 09897340067

पत्रांकः AIVRWA - 02/2017 दिनांकः 01/01/17

सेवा में,

माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड
सचिवालय, देहरादून

विषयः- मतदान हेतु मतदाता जागरूकता अभियान में प्रोत्साहन व मार्गदर्शन हेतु निवम्र निवेदन।

मान्यवर,

नव वर्ष 2017 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विनम्र निवेदन है कि ऑल इन्डिया वोटर्स राईट्स एंड वैलफेयर एसोसिएशन (AIVRWA) की 10वीं वर्षगांठ 30 दिसम्बर 2016 को ऑल इन्डिया वोटर्स राईट्स एंड वैलफेयर एसोसिएशन ने अपनी सहयोगी हिमालय और हिन्दुस्तान (पाक्षिक समाचार पत्र, न्यूजपोर्टल एवं हिमालय और हिन्दुस्तान फॉउन्डेशन) के सहयोग से फरवरी एवं मार्च 2017 में उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा एवं मणिपुर में होने वाले विधान सभा चुनाव में मतदान जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित, प्रोत्साहित व जागरूक करने का निर्णय लिया, ताकि शान्तिपूर्ण मतदान हो तथा मतदान प्रतिशत भी बढ़े।

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एंड वैलफेयर एसोसिएशन गैर राजनितिक, गैर सहायता प्राप्त, निस्वार्थ, स्वैच्छिक मिशन व संस्था हैं जिसका उद्देश्य मतदाओं को पंचायतों से लेकर संसद तक के चुनावों में मतदान हेतु प्रेरित प्रोत्साहित व जागरूक करना है। साथ ही मतदाताओं के हितों व अधिकारों हेतु आवाज उठाना भी है।

हमारा आपसे विनम्र विनेदन है कि हमें आप मार्गदर्शित व प्रोत्साहित करें। हमें आर्थिक सहायता नहीं चाहिए बल्कि आपका प्रोत्साहन पत्र जिसमें मतदान जागरूकता में लगे स्वयं सेवी प्रोत्साहित हो सके। आपकी प्रचार सामग्री व प्रोत्साहन पत्र हमारा मनोबल बढ़ाएगी। प्राचार सामग्री, आचार-संहिता की जानकारी डाक, हमारे ईमेल एवं व्हाट्सअप पर भेजकर मार्गदर्शित करें।

आपके सहयोगी एवं प्रोत्साहन पत्र व मार्ग दर्शन के सहयोगाकांक्षी।

डॉ0 रवि रस्तोगी
संस्थापक एवं राष्ट्रीय मुख्य संयोजक

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन के कार्य एवं उद्देश्य

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें ग्राम पंचायत से लेकर माननीय संसद तक के चुनाव में मतदान हेतु प्रेरित, प्रोत्साहित एवं जागरूक करना, प्रचार प्रसार करना, प्रशिक्षण देना, माननीय चुनाव आयोग, चुनाव अधिकारियों एवं पुलिस - प्रशासन को शान्तिपूर्ण अधिक से अधिक मतदान कराने में सहयोग करना आदि है।

यदि मतदान करना प्रत्येक मतदाता का कर्त्तव्य और अधिकार है तो मतदाता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना व सुविधाएं देना केन्द्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि पंचायतों से लेकर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के निर्माण में मतदाताओं की अहम् भूमिका होती है।

स्थापना – 30 दिसम्बर 2006

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन

हिमालय और हिन्दुस्तान, वीरभद्र (ऋषिकेश) 249202

पो.बॉ.नं. 56, मुख्य डाक घर ऋषिकेश – 249 201 देहरादून, उत्तराखण्ड

E-mail: aivrwa2006gmail.com, drravirastogi@gmail.com 09897340067

18 वर्ष या उससे ऊपर के पढ़े

यदि आप 18 वर्ष के युवा हैं तो आपके लिए यह खुशखबरी है कि आप अपने राज्य में होने वाले विधान सभा चुनाव में मतदाता के रूप में पहली बार मतदान कर अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि/विधायक को चुनने जा रहे हैं। उन युवा मतदाताओं के लिए तो यह उनके जीवन का ऐतिहासिक पल होगा जब वह पहली बार मतदान स्थल पर मतदान करेंगें।

इतना ही नहीं आप एक जागरूक मतदाता व जिम्मेदार भारतीय होने के नाते अन्य मतदाताओं को भी मतदान करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित व जागरूक करें, वृद्ध असहाय मतदाताओं को मतदान कराने हेतु मतदान बूथ पर ले जाकर पुण्य के भागी बने। अपने क्षेत्र में शान्तिपूर्ण अधिक से अधिक मतदान कराने में चुनाव अधिकारियों व पुलिस प्रशासन का सहयोग करें व उनका सहयोग लें।

इसके साथ–साथ सभी सम्मानित मतदाताओं से भी विनम्र निवेदन है कि अपने क्षेत्र के विकास एवं राज्य में मजबूत टिकाऊ सरकार बनाने के लिए अपना कर्त्तव्य, अधिकार व जिम्मेदारी समझकर प्राथमिकता के आधार पर मतदान करें।और अन्य मतदाताओं को भी मतदान हेतु प्रेरित, प्रोत्साहित व जागरूक करें।

ध्यान रहे कि यदि आप मतदान नहीं करेंगें तो प्रभावशाली प्रत्याशी अपने धनबल से अपने मतदाताओं द्वारा मतदान कराकर सरकार बनाएंगें। यदि आप ईमानदार, योग्य व अनुभवी मतदाताओं को चुनेंगें तो वह आपके क्षेत्र का विकास व राज्य में मजबूत सरकार बनायेंगें।

अपने व अपने परिजनों, समाज व राज्य के विकस में मतदान अवश्य कर जागरूक मतदाता का परिचय दें।

डॉ0 रवि रस्तोगी

संस्थापक एवं राष्ट्रीय मुख्य संयोजक

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन एवं
हिमालय और हिन्दुस्तान द्वारा मतदान एवं मतदाताओं हेतु प्रचारित व प्रसारित

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन के कार्य एवं उद्देश्य

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें ग्राम पंचायत से लेकर माननीय संसद तक के चुनाव में मतदान हेतु प्रेरित, प्रोत्साहित एवं जागरूक करना, प्रचार प्रसार करना, प्रशिक्षण देना, माननीय चुनाव आयोग, चुनाव अधिकारियों एवं पुलिस – प्रशासन को शान्तिपूर्ण अधिक से अधिक मतदान कराने में सहयोग करना आदि है।

यदि मतदान करना प्रत्येक मतदाता का कर्त्तव्य और अधिकार है तो मतदाता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना व सुविधाएं देना केन्द्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि पंचायतों से लेकर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के निर्माण में मतदाताओं की अहम् भूमिका होती है।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

MODEL CODE OF CONDUCT FOR THE GUIDANCE OF POLITICAL PARTIES AND CANDIDATES

I. General Conduct

(1) No party or candidate shall include in any activity which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different castes and communities, religious or linguistic.

(2) Criticism of other political parties, when made, shall be confined to their policies and programme, past record and work. Parties and Candidates shall refrain from criticism of all aspects of private life, not connected with the public activities of the leaders or workers of other parties. Criticism of other parties or their workers based on unverified allegations or distortion shall be avoided.

(3) There shall be no appeal to caste or communal feelings for securing votes. Mosques, Churches, Temples or other places of worship shall not be used as forum for election propaganda.

(4) All parties and candidates shall avoid scrupulously all activities which are "corrupt practices" and offences under the election law, such as bribing of voters, intimidation of voters, impersonation of voters, canvassing within 100 meters of polling stations, holding public meetings during the period of 48 hours ending with the hour fixed for the close of the poll, and the transport and conveyance of voters to and from polling station.

(5) The right of every individual for peaceful and undisturbed home-life shall be respected, however much the political parties or candidates may resent his political opinions or activities. Organizing demonstrations or picketing before the houses of individuals by way of protesting against their opinions or activities shall not be resorted to under any circumstances.

(6) No political party or candidate shall permit its or his followers to make use of any individual's land, building, compound wall etc., without his permission for erecting flag-staffs, suspending banners, pasting notices, writing slogans etc.

(7) Political parties and candidates shall ensure that their supporters do not create obstructions in or break up meetings and processions organized by other parties. Workers or sympathisers of one political party shall not create disturbances at public meetings organized by another political party by putting questions orally or in writing or by distributing leaflets of their own party. Processions shall not be taken out by one

party along places at which meetings are held by another party. Posters issued by one party shall not be removed by workers of another party.

II. Meetings

(1) The party or candidate shall inform the local police authorities of the venue and time any proposed meeting Well in time so as to enable the police to make necessary arrangements for controlling traffic and maintaining peace and order.

(2) A Party or candidate shall ascertain in advance if there is any restrictive or prohibitory order in force in the place proposed for the meeting if such orders exist, they shall be followed strictly. If any exemption is required from such orders, it shall be applied for and obtained well in time.

(3) If permission or license is to be obtained for the use of loudspeakers or any other facility in connection with any proposed meeting, the party or candidate shall apply to the authority concerned well in advance and obtain such permission or license.

(4) Organizers of a meeting shall invariably seek the assistance of the police on duty for dealing with persons disturbing a meeting or otherwise attempting to create disorder. Organizers themselves shall not take action against such persons.

III. Procession

(1) A Party or candidate organizing a procession shall decide before hand the time and place of the starting of the procession, the route to be followed and the time and place at which the procession will terminate. There shall ordinary be no deviation from the programme.

(2) The organizers shall give advance intimation to the local police authorities of the programme so as to enable the letter to make necessary arrangement.

(3) The organizers shall ascertain if any restrictive orders are in force in the localities through which the procession has to pass, and shall comply with the restrictions unless exempted specially by the competent authority. Any traffic regulations or restrictions shall also be carefully adhered to.

(4) The organizers shall take steps in advance to arrange for passage of the procession so that there is no block or hindrance to traffic. If the procession is very long, it shall be organized in segments of suitable lengths, so that at convenient intervals, especially at points where the procession has to pass road junctions, the passage of held up traffic could be allowed by stages thus avoiding heavy traffic congestion.

(5) Processions shall be so regulated as to keep as much to the right of the road as possible and the direction and advice of the police on duty shall be strictly complied with.

6) If two or more political parties or candidates propose to take processions over the same route or parts thereof at about the same time, the organizers shall establish contact well in advance and decide upon the measures to be taken to see that the processions do not clash or cause hindrance to traffic. The assistance of the local police shall be availed of for arriving at a satisfactory arrangement. For this purpose the parties shall contact the police at the earliest opportunity.

(7) The political parties or candidates shall exercise control to the maximum extent possible in the matter of processionists carrying articles which may be put to misuse by undesirable elements especially in moments of excitement.

(8) The carrying of effigies purporting to represent member of other political parties or their leaders, burning such effigies in public and such other forms demonstration shall not be countenanced by any political party or candidate.

IV. Polling Day

All Political parties and candidates shall –

(i) co-operate with the officers on election duty to ensure peaceful and orderly polling and complete freedom to the voters to exercise their franchise without being subjected to any annoyance or obstruction.

(ii) supply to their authorized workers suitable badges or identity cards.

(iii) agree that the identity slip supplied by them to voters hall be on plain (white) paper and shall not contain any symbol, name of the candidate or the name of the party;

(iv) refrain from serving or distributing liquor on polling day and during the forty eight hours preceding it.

(v) not allow unnecessary crowd to be collected near the camps set up by the political parties and candidates near the polling booths so as to avoid Confrontation and tension among workers and sympathizers of the parties and the candidate.

(vi) ensure that the candidate's camps shall be simple .They shall not display any posters, flags, symbols or any other propaganda material. No eatable shall be served or crowd allowed at the camps and

(vii) co-operate with the authorities in complying with the restrictions to be imposed on the plying of vehicles on the polling day and obtain permits for them which should be displayed prominently on those vehicles.

V. Polling Booth

Excepting the voters, no one without a valid pass from the Election Commission shall enter the polling booths.

VI. Observers

The Election Commission is appointing Observers. If the candidates or their agents have any specific complaint or problem regarding the conduct of elections they may bring the same to the notice of the Observer.

VII. Party in Power

The party in power whether at the Centre or in the State or States concerned, shall ensure that no cause is given for any complaint that it has used its official position for the purposes of its election campaign and in particular –

(i) (a) The Ministers shall not combine their official visit with electioneering work and shall not also make use of official machinery or personnel during the electioneering work.

(b) Government transport including official air-crafts, vehicles, machinery and personnel shall not be used for furtherance of the interest of the party in power;

(ii) Public places such as maidens etc., for holding election meetings, and use of helipads for air-flights in connection with elections shall not be monopolized by itself. Other parties and candidates shall be allowed the use of such places and facilities on the same terms and conditions on which they are used by the party in power;

(iii) Rest houses, dark bungalows or other Government accommodation shall not be monopolized by the party in power or its candidates and such accommodation shall be allowed to be used by other parties and candidates in a fair manner but no party or candidate shall use or be allowed to use such accommodation (including premises appertaining thereto) as a campaign office or for holding any public meeting for the purposes of election propaganda;

(iv) Issue of advertisement at the cost of public exchequer in the newspapers and other media and the misuse of official mass media during the election period for partisan coverage of political news and publicity regarding achievements with a view to furthering the prospects of the party in power shall be scrupulously avoided.

(v) Ministers and other authorities shall not sanction grants/payments out of discretionary funds from the time elections are announced by the Commission; and

(vi) From the time elections are announced by Commission, Ministers and other authorities shall not –

(a) announce any financial grants in any form or promises thereof; or

(b) (except civil servants) lay foundation stones etc. of projects or schemes of any kind; or

(c) make any promise of construction of roads, provision of drinking water

facilities etc.; or

(d) make any ad-hoc appointments in Government, Public Undertakings etc. which may have the effect of influencing the voters in favor of the party in power.

Note : The Commission shall announce the date of any election which shall be a date ordinarily not more than three weeks prior to the date on which the notification is likely to be issued in respect of such elections.

(vii) Ministers of Central or State Government shall not enter any polling station or place of counting except in their capacity as a candidate or voter or authorized agent.

VIII Guidelines on Election Manifestos

1. The Supreme Court in its judgment dated 5th July 2013 in SLP(C) No. 21455 of 2008 (S. Subramaniam Balaji Vs Govt. of Tamil Nadu and Others) has directed the Election Commission to frame guidelines with regard to the contents of election manifestos in consultation with all the recognized political parties. The guiding principles which will lead to framing of such guidelines are quoted below from the judgment:-

(i) "Although, the law is obvious that the promises in the election manifesto cannot be construed as 'corrupt practice' under Section 123 of RP Act, the reality cannot be ruled out that distribution of freebies of any kind, undoubtedly, influences all people. It shakes the root of free and fair elections to a large degree".

(ii) "The Election Commission, in order to ensure level playing field between the contesting parties and candidates in elections and also in order to see that the purity of the election process does not get vitiated, as in past been issuing instructions under the Model Code of Conduct. The fountainhead of the powers under which the Commission issues these orders is Article 324 of the Constitution which mandates the Commission to hold free and fair elections."

(iii) "We are mindful of the fact that generally political parties release their election manifesto before the announcement of election date, in that scenario, strictly speaking, the Election Commission will not have the authority to regulate any act which is done before the announcement of the date. Nevertheless, an exception can be made in this regard as the purpose of election manifesto is directly associated with the election process".

2. Upon receiving the above directions of the Hon'ble Supreme Court, the Election Commission held a meeting with the recognized National and State Political Parties for consultation with them in the matter and took note of their conflicting views in the matter.

During consultations, while some political parties supported the issuance of such guidelines, others were of the view that it is their right and duty towards voters to make such offers and promises in manifestos in a healthy democratic polity. While the Commission agrees in principle with the point of view that framing of manifestos is the right of the political parties, it cannot overlook the undesirable impact of some of the promises and offers on the conduct of free and fair elections and maintaining level playing field for all political parties and candidates.

3. The Constitution under Article 324 mandates the Election Commission, to conduct elections inter alia to the Parliament and the State Legislatures. Having due regard to the above directions of the Supreme Court and after consultation with the Political Parties, the Commission, in the interest of free and fair elections , hereby directs that Political Parties and Candidates while releasing election manifestos for any election to the Parliament or State Legislatures, shall adhere to the following guidelines :-

(i) The election manifesto shall not contain anything repugnant to the ideals and principles enshrined in the Constitution and further that it shall be consistent with the letter and spirit of other provisions of Model Code of Conduct.

(ii) The Directive Principles of State Policy enshrined in the Constitution enjoin upon the State to frame various welfare measures for the citizens and therefore there can be no objection to the promise of such welfare measures in election manifestos. However, political parties should avoid making those promises which are likely to vitiate the purity of the election process or exert undue influence on the voters in exercising their franchise.

(iii) In the interest of transparency, level playing field and credibility of promises, it is expected that manifestos also reflect the rationale for the promises and broadly indicate the ways and means to meet the financial requirements for it. Trust of voters should be sought only on those promises which are possible to be fulfilled.

बिन्दु 8. 7-

समस्त जनपदों के निवार्चन कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर

क्र0सं0	जनपद का नाम	कन्ट्रोल रूम का नम्बर		सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के मोबाइल न0
		1	2	
1	उत्तरकाशी	01374–222174		9411569021, 9410101956
2	चमोली	01372–252139		7892491792, 9690755555
3	रुद्रप्रयाग	01364–233061		8650873846
4	टिहरी	01376–232164		9760919781
5	देहरादून	0135–2722045	2624216	8126099666
6	हरिद्वार	01334–223999	239942	9997267231, 9458337525
7	पौड़ी गढ़वाल	01368–222364		9897341721
8	पिथौरागढ़	05964–224227		9411349054
9	बागश्वर	05963–220320	220380	9917041923
10	अल्मोड़ा	05962–237874	230010	9410585465
11	चम्पावत	05965–230819		94113184780
12	नैनीताल	05946–223822	223722	7579202999
13	ऊधम सिंह नगर	05944–250719		9410132571

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.464/INST /2016/EPS **Dated: 12th March, 2016**

To
Chief Electoral Officers
Of all the States and UTs.

Sub: - Providing facilities to Persons with Disabilities (PWD) –reg.

I am directed to invite your attention to the Commission's letter no. 509/110/2004-JS-I dated 21.04.2004, 20.10.2005 & 26.10.2007 and letter no. 464/Direction/2016-EPS, dated 15 February, 2016 regarding providing facilities to Persons with Disabilities (PWDs).

Each elector is important for better functioning of democracy and must get his/her rights. The Electoral laws not only guarantee equality to persons with disabilities, but also make provisions for facilitating their access and participation in the election process.

The Commission has further decided about the implementation of the directives stated below to be followed uniformly by all States and UTs :-

A-Identifications of Persons with Disabilities (PWDs)

1. Preliminary data shall be collected by every State with the help of Census, Social Justice & Empowerment Department, Women and Child Welfare Department and Samagra Yojana.

2. The Officers/employees of Social Justice and Empowerment Department, as and when required, shall be drawn on deputation/assigned duty as Nodal Officers to ensure the availability of basic facilities to the PWDs.

3. Polling Station wise list of 18+ persons with disabilities shall be prepared from the data collected from the above mentioned departments at DEO/ERO/BLO Level.

B-Electoral Roll

1. A separate polling station wise list of PWDs indicating the type of disability shall be prepared from the voter list.

2. After obtaining information regarding PWDs from concerned departments, the process for inclusion of the names of the eligible PWDs who are not listed in the electoral roll shall be initiated.

3. PWDs shall be given preference in obtaining facilities at the Polling Stations, Matadata Shayata Kendras (MSKs), Voter Assistance Centers (VACs), Office of DEOs, EROs, ROs etc. All possible steps should be taken to ensure that PWDs are not required to wait in queue.

4. Adequate instructions to facilitate filling-up of forms 6, 7, 8 and 8A shall be provided at the above mentioned help centers.

C-SVEEP

1. An officer shall be designated/appointed assembly-constituency wise for each district. Such officers shall be trained regarding provision of facilities for PWDs.

2. Wide Publicity through various modes shall be ensured. Special basic publicity material shall be prepared by using simple language, sign language and Braille in regional languages (by the respective States).

3. Special/Mobile camps shall be organized to educate and motivate persons with disabilities and regular programs shall be organized through various Media.

4. Efforts shall be made to prepare volunteers from student organizations like NCC, NSS, NYK etc to motivate and create awareness regarding the election process among persons with disabilities.

5. Publicity regarding the services offered by CSCs/ MSKs shall be augmented.

6. Efforts shall be made to have renowned PWDs as District Campus Ambassadors and District /State Icons.

D-Involvement of NGOs/CSOs/DPOs/RWAs

1. Voluntary and other organizations working for PWDs like Non-Government Organizations (NGOs), Community Based Organizations (CSOs), Disabled Persons' Organizations (DPOs) and Resident Welfare Associations (RWAs) etc shall be motivated to help in imparting information regarding election process to PWDs in a non-political, non-partisan. Assistance shall be sought from these organizations to provide various facilities to PWDs.

2. Only non-political & non-partisan organizations should be considered to motivate and create awareness among PWDs.

E-System Sensitization and Training

1. Special training sessions shall be organized to sensitize the election machinery to make efforts to address the needs of PWDs.

2. All officers/employees, police officials etc involved in the election process should be clearly instructed on the facilities to be provided to the PWDs.

3. Instructors qualified in sign language and Braille shall be appointed for training purposes.

4. Basic Information regarding election process shall be prepared in Braille script and displayed (in Hindi, English or Regional language in use).

5. Contribution in elections process by PWDs - The PWDs who volunteer to assist in the election process in the form of working at Voter Help Centers, working as BLOs, working in polling team etc should be assigned such work so that they can motivate other PWDs to participate in the election process.

F-Use of technology to provide help to PWDs

1. The websites of each CEO/DEO shall be made user friendly and readily accessible to persons with disabilities.

2. Visually impaired voters shall be provided the facility of voice SMS to convey information like the status of registration, polling station number, name of polling station, the Serial Number in the voters' list, the assembly constituency in which the name of PWD is registered, the voter ID no.(EPIC), Polling Schedule, etc.

Note - Data of persons with disabilities shall not be displayed on website and should not be shared so as to maintain their privacy.

G-Special Exclusive Polling Stations for PWDs

1. In places/areas/institutions where PWDs reside in large numbers, special polling stations may be set up. For this purpose, the DEO with the endorsement of Chief Electoral Officer should submit proposal for setting up of special polling stations.

H-Improving Physical Access and facilities at polling stations

1. It shall be ensured that polling stations are situated on the ground floor, if not, lift facility/extension of ramp to each floor should be provided.
2. A standardized and uniform design of ramps shall be implemented.
3. Temporary/Mobile ramps shall be made available where ever permanent ramp facility cannot be provided.
4. Access to ramps shall be made smooth in places of sandy and slushy pathways.
5. Ramps shall be provided in such a manner that it directly leads to the door of polling stations to avoid navigating through corridors.
6. Proper approach roads to Polling Stations shall be ensured by local authorities/ respective departments.
7. Mobile barricades in front of Doors of each Polling Station shall be erected.

8. Entrance door of polling station shall be kept wide open and adequate space around the voting compartment should be ensured for wheel chair movement

9. Facility for separate entry should be made available for persons with disabilities wherever possible.

10. Pathway to polling rooms shall have indicators with standard signage.

11. Depending on the number of PWDs among electors in a polling station, facilities like ramp, tricycles, basic information through audio-video, should be made available. These facilities should be physically verified and certified by the Observer deputed by the Commission.

12. Wheel chairs shall be provided at identified polling stations.

13. Priority entry passes shall be issued to persons with disabilities. All possible steps should be taken to ensure that PWDs are not required to wait in queue.

I-Cooperation of Political Parties

1. Political parties shall also be motivated to display publicity material, manifesto, appeal etc. in audio-video and in Braille as well as sign language as per the requirement of the PWDs.

J-Statistical data

1. Statistical data should incorporate data regarding PWDs.

Kindly ensure that the instructions given be followed in letter and spirit.

Please acknowledge the receipt of this letter immediately and also confirm action taken as required above at the earliest.

Yours faithfully,

(SUMIT MUKHERJEE)
SECRETARY

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

EPABX 011-23052246/268
Fax 011-23052001
Website : www.eci.nic.in

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली–110001.
Nirvachan Sadan,
Ashoka Road, New Delhi-110001.

No.464/INST/PwD/2016/EPS **Dated 7th September, 2016**

To

The Chief Electoral Officers of
All the States and Union Territories.

Subject: - Providing facilities to Persons with Disabilities – Regarding.

Madam / Sir,

In continuation to the letter of even number dated 12/03/2016 on the subject cited, the following additional directions are issued by the Commission for ensuring adequate and quality facilitation of Persons with Disabilities (PwDs) to ensure their wholesome and constructive participation and active engagement in the election process:-

I. PwDs in each polling station should be identified by BLOs and its record should be kept in the Database and also as a category-wise separate list;

II. The names of PwD should be mapped and the list be made available to the BLOs but it should not be marked in the electoral roll to maintain the privacy of PwD;

III. Elaborate instructions on PwD should be prepared by ECI and the same should be displayed outside the Polling Station;

IV. Voter guide, voter slips and Voter ID cards (EPIC) of visually impaired electors should be prepared in Braille wherever possible;

V. Department of social Justice should be approached for fulfilling the requirement of wheel Chairs for PwD Voters;

VI. Neutral youth volunteers should be roped into for facilitation of PwD voters;

VII. There should be proper Voters' Guide for PwD Voters especially catering to their needs;

VIII. Assured Minimum Facility (AMF) should be ensured for PwD Voters at each and every Polling Station –

a. Permanent ramps with appropriate gradient should be provided as per national standards;

b. Braile facility should be provided in the EVMs;

c. Proper accessibility to the polling station should be ensured;

d. Proper parking facility should be made available at the polling stations;

IX. The Polling Officials should be given proper training to facilitate PwD and sensitize them about PwD requirements;

X. Proper environment building and SVEEP activities should be conducted for ethical voting;

XI. Dissemination of information regarding available facilities should be made known to the Stakeholders, Political Parties, Election Machinery, Media, Electors;

XII. Exclusive polling booths, as far as practicable, should be set up for PwD in places where they reside in large numbers. Other facilities according to the needs of the PwD like proper toilets, tactile signage outside the polling stations and Voters' Guide in Braille for the visually impaired voters should be made available;

XIII. PwD should be informed in advance about polling stations where facility of online booking for wheel chairs is available;

XIV. Wherever possible, dummy ballot papers in Braile for visually impaired voters should be prepared;

XV. Audio applications like voice SMS (web or mobile) for registrations should be developed for visually impaired voters;

2. A comprehensive activity chart (Annexure-I) regarding ease of registration and voting by PwD has been prepared for clarity and coherence. This chart clearly underlines the various activities to be carried out, steps to be taken, fixing of responsitilities of concerned officials, a definite time frame for each activity and the desired outcomes. You are requested to initiate immediate steps to implement the above measure in a time bound manner.

3. A separate SVEEP plan should be prepared incorporating information, education and facilitation for Persons with Disabilities.

4. An Action Taken Report in respect of the initiatives and steps taken for facilitation of PwDs as outlined in the instructions herein may be submitted to the Commission within a month.

Yours faithfully,

(Sumit Mukherjee)
Secretary

वि-दु स - 10

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)

एक बहुआयामी कार्यक्रम है जो नागरिकों, निर्वाचकों और मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करता है ताकि उनकी जागरूकता और सहभागिता बढ़ाई जा सके। इसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपरेखा तथा राज्य के जनसांख्यिकीय आधार के अनुरूप होने के साथ–साथ पिछले निर्वाचनों में निर्वाचक सहभागिता के पूर्ववृत और उसके अध्ययन के अनुसार तैयार किया जाता है।

मूल आधार

विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने के साथ–साथ भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मतदाता इस संस्था का केन्द्रीय कर्ता है। लोकतंत्र की सफलता स्वतंत्र, निष्पक्ष, नीतिपूरक और प्रत्येक नागरिक के प्रलोभन–रहित सहभागिता पर निर्भर करती है। अतः यह सबके लिए अत्यावश्यक हो जाता है कि हम न केवल इस अधिकार को समझें, अपितु सहज सहभागिता हेतु निर्वाचन प्रक्रिया को जाने ताकि सहज रूप से इस प्रक्रिया में भाग ले सकें।

लक्ष्य निर्धारित करना

- वोटर पंजीकरण और मतदान बढ़ाना।
- नीतिपरक मतदान के अर्थों में गुणात्मक सहभागिता बढ़ाना।
- निर्वाचकीय और लोकतंत्र संबंधी शिक्षा।

कार्यप्रणाली की रूपरेखा

स्वीप मतदान के दो चरणों की कमियों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है

1. मतदान–पूर्व चरण (मतदाताओं का पंजीकरण)
2. मतदान संबंधी चरण (मतदान बढ़ाना)

इसे निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त किया जाता है

- स्थिति विश्लेषण (निर्वाचक जनसंख्या अनुपात, आयु–वर्ग, लिंग–अनुपात, KABBP सर्वेक्षण के माध्यम से)
- योजना और तैयारी (कार्य योजना की राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करना, राज्य स्वीप योजनाओं की तैयारी करना, मतदान केंद्र पर आधारित जिला स्वीप योजना को तैयार करना, गतिविधियों का कलेन्डर तैयार करना, रचनात्मक सामग्री के लिए विषय–सूची का विकास करना, संसाधन का आवंटन, राज्य और जिला स्तर पर स्वीप कोर समिति की रचना, बूथ जागरूकता समूहों की रचनाएं राज्य और जिला स्तरों पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारियों का प्रशिक्षण)
- भागीदारी और सहयोग (शैक्षणिक संस्थान सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी संगठन, कॉर्पोरेट हाउसेस तथा स्वयं सेवकों के समूह)
- कार्यान्वयन (सूचना–प्रेरणा–सुविधा जन जागरूकता, समावेशन, लक्षित इंटरवेशन, विशिष्ट नवीन प्रक्रियाएं)
- निगरानी और मूल्यांकन (रिपोर्टिंग, KABBP सर्वे, फीडबैक, प्रलेखन)

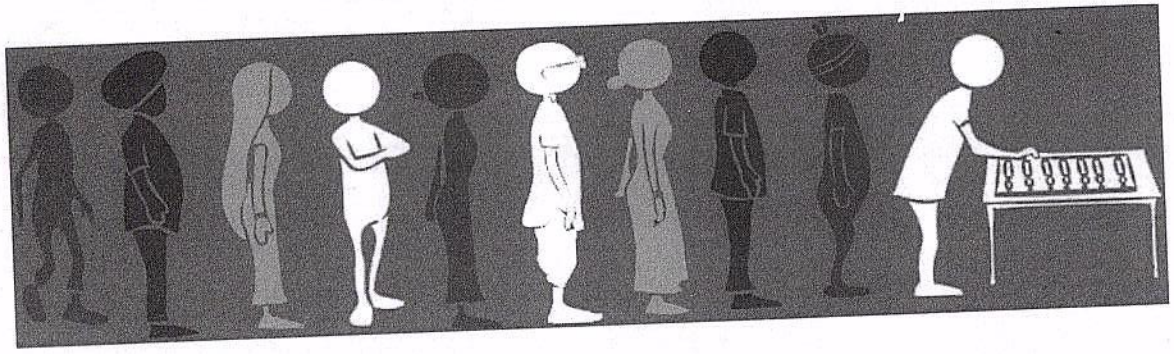

कार्य योजना

स्वीप तीन–आयामी कार्यनीति पर कार्य करता है

सूचना

पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया के संबंध में 'क्या' 'कब' 'कहाँ' और 'कैसे' के बारे में सूचना देना।

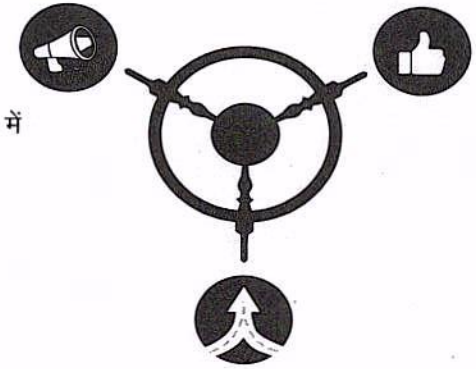

प्रेरणा

लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना और मतदान से संबंधित जिज्ञासा का जवाब देना।

सुविधा

सुविधा सेवाएं प्रदान करना और पंजीकरण तथा मतदान को और सुलभ, आसान तथा सुविधाजनक बनाने के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

स्थिति और कमी विश्लेषण के माध्यम से किसी क्षेत्र में पिछले निर्वाचकीय चक्र के दौरान निर्वाचक सहभागिता का आंकलन करने के पश्चात् स्वीप योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से तथा जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से कार्यान्वित कराई जाती हैं। इसके पश्चात् लक्षित इंटरवेशनों को कार्यान्वित किया जाता है और भागीदारी तथा सहयोग से प्रयासों को सशक्त बनाया जाता है। कड़ी निगरानी तथा समीक्षा तंत्र के प्रयोग से प्रगति का मूल्यांकन करने के पश्चात् प्रलेखन व अध्ययन किया जाता है।

जिम्मेदारियां साझा करना

राष्ट्रीय स्तर

भारत निर्वाचन आयोग में स्वीप प्रभाग मतदान शिक्षा पर नीतियां बनाता है, स्वीप कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर पर रूपरेखा निर्धारित करता है, योजनाएं बनाता है और कार्यान्वयन संबंधी कार्यों की निगरानी करता है। मतदाता, सिविल सोसाइटी समूहों, मीडिया तथा अन्य हितधारकों के साथ विचार–विमर्श तथा लगातार संवाद बनाए रखता है।

राज्य स्तर

प्रत्येक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में एक अधिकारी को स्वीप कार्यक्रम का प्रभार सौंपा जाता है। सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थानों, युवा संगठनों तथा सिविल सोसाइटी समूहों के साथ राज्य की स्वीप कोर कमेटी बनायी जाती है। इसके अतिरिक्त निर्वाचनों के दौरान स्वीप कार्यों के निगरानी हेतु जागरूकता प्रेक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

जिला स्तर

जिला स्तर पर जिला कलेक्टर जो जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है जिला निर्वाचन अधिकारी (डी ई ओ) के रूप में निर्वाचन प्रबंधन में मुख्य भूमिका निभाता है। जिले में कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने हेतु जिला स्वीप समिति का गठन किया जाता है। जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कि आधिकांशतः अपर जिला मजिस्ट्रेट होता है, जिला स्वीप समिति का नेतृत्व करता है।

बूथ स्तर

बूथ स्तर अधिकारियों को सामान्यतः बी एल ओ के नाम से जाना जाता है जो एक या दो मतदान केन्द्र कवर करते हैं और जो त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। किसी विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली के संरक्षक, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त, लोगों की सहभागिता को सरल बनाने तथा सूचना के प्रचार प्रसार के लिए सिविल सोसाइटी सदस्यों तथा अधिकारियों के साथ बूथ स्तर पर बूथ जागरूकता समूहों का निर्माण किया जाता है।

6

मतदाता जागरूकता संदेश के साथ छात्र, अरुणाचल प्रदेश

विकास

स्वीप 1 (2009–2013)

मतदाताओं के रूप में नागरिकों के पंजीकरण में कमी तथा निर्वाचन मतदान की प्रत्यक्ष कमी से स्वीप की उत्पत्ति का प्रारंभ हुआ। भारत में राष्ट्रीय निर्वाचनों में मतदान ऐतिहासिक रूप से 50–60 प्रतिशत के आस–पास रूक गया था। वर्ष 2009 में आई ई सी इंटरवेशन के नाम से एक छोटी सी प्रयोगात्मक शुरूआत की गई जिसे वर्ष 2010 में संशोधित करके इसका वर्तमान नाम दिया गया। स्वीप 1 वर्ष 2009 के अंत से शुरू होकर मार्च 2013 तक मोटे तौर पर रहा और इस दौरान राज्य विधान सभाओं के 17 साधारण निर्वाचन और निर्वाचक नामावलियों के तीन संशोधन किए गए।

स्वीप 2 (2013–2014)

स्वीप के नये प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए तथा उन्हें सशक्त करते हुए, स्वीप 2 चरण में विभिन्न कमियों को दूर करने की दिशा में एक लक्षित दृष्टिकोण हेतु एक योजनाबद्ध कार्यनीति शामिल की गई। इसमें न्यूनतम मतदान वाले 10 प्रतिशत मतदान केन्द्रों की पहचान कर, मतदान केन्द्रवार स्थिति का विश्लेषण, मतदान केन्द्रवार क्रियान्वयन के साथ–साथ नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन तथा निगरानी की गई। इसमें नव साक्षर तथा निरक्षर समूहों के लिए विषयपरक विकास को भी शामिल किया गया। इस दौर में मतदान केन्द्रों पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर खास जोर दिया गया। लोक सभा चुनाव 2014 में ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत एक मील का पत्थर साबित हुआ।

स्वीप 3 (2015–वर्तमान)

लोकसभा के ऐतिहासिक साधारण निर्वाचन 2014 से सीख प्राप्त करने के पश्चात, स्वीप के तृतीय चरण के लिए और अधिक मजबूत एवं गहरी योजना बनाई गई। निर्वाचन शिक्षा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ जोड़ना तथा सह–पाठ्यक्रम एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम में शामिल करना स्वीप 3 के मुख्य अंगों में से एक हैं। महिलाओं, युवाओं, शहरी मतदाताओं तथा मार्जिनल समूहों को लक्षित किए जाने के अतिरिक्त सेवा मतदाताओं (जो डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करते हैं) अनिवासी भारतीयों, निःशक्त व्यक्तियों, भावी मतदाताओं पर फोकस है। यह कार्यक्रम शिक्षा एवं संचार अवधारणाओं पर जोर देता है। सोशल मीडिया, ऑनलाईन प्रतियोगिता तथा मतदाता महोत्सव के माध्यम से नागरिकों के साथ व्यापक वार्तालाप एवं आउटरीच, इस चरण का महत्वपूर्ण भाग है। साझेदारियों को बढ़ाना, साझेदारों के साथ अधिक से अधिक तालमेल स्थापित करना, माइक्रो सर्वेक्षण स्वीप 3 कार्यक्रम के अन्य मुख्य पहलू हैं।

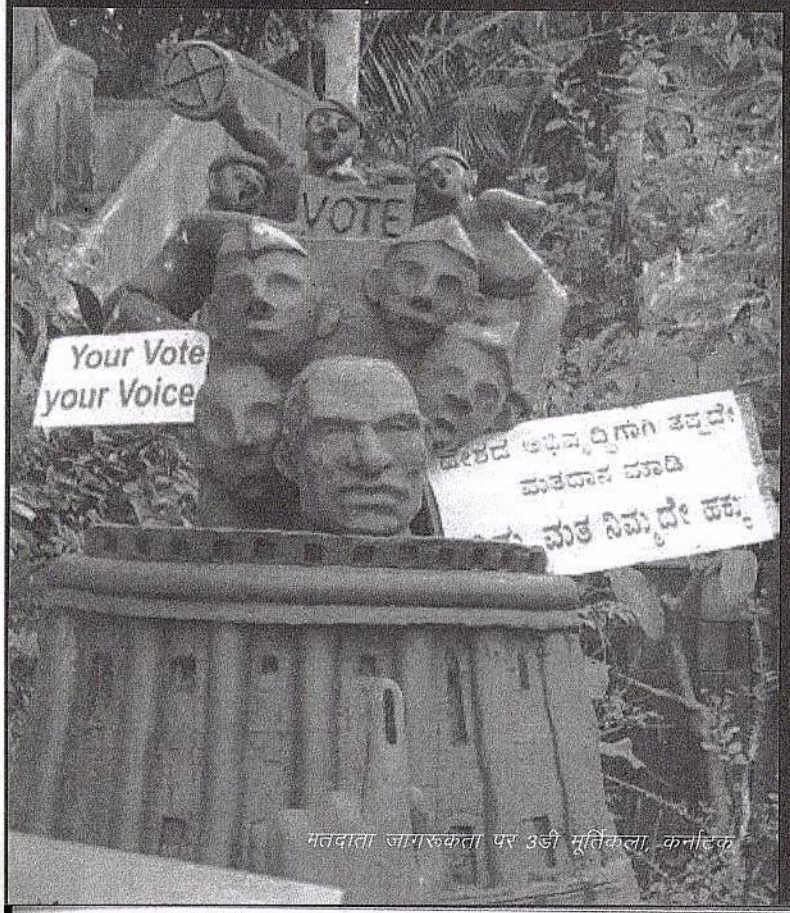

मतदाता जागरूकता पर 3डी मूर्तिकला, कर्नाटक

फोकस बढ़ाना

मताधिकार सभी नागरिकों को समान स्तर की गारंटी देता है। महिलाएं, शहरी जनसंख्या, जनजाति क्षेत्र, प्रवासी समूह, वरिष्ठ नागरिक, निःशक्त व्यक्ति, निराश्रय जनसंख्या हमारे फोकस हैं।

सहभागिता

केन्द्र एवं राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कल्याण, राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस), नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन के एस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन सी सी), राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एन एल एम ए), सार्वजनिक प्रसारक जैसे दूरदर्शन तथा आकाशवाणी, निजी मीडिया घरानों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) एवं गैर सरकारी संगठनों तथा व्यक्तियों के माध्यम से हमारे प्रयास में प्रबलता आती है।

हस्तक्षेप

महिलाओं की सहभागिता

- ✔ महिलाओं की सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के लिए कई मतदान केन्द्रों में बैठने की व्यवस्था की गई, टोकन प्रणाली तथा शौचालय उपलब्ध करवाए गये
- ✔ मास मीडिया में महिला केन्द्रित संदेश एवं प्रचार सामग्री बांटी गई
- ✔ मतदाता शिक्षा को एन एल एम ए की साझेदारी से तथा विशिष्ट मतदाता शिक्षाप्रद मनोरंजक सामग्री के माध्यम से जानकारी दी गई
- ✔ महिलाओं को शामिल करने के लिए महिला केन्द्रित प्रतियोगिताएं जैसे रंगोली, लोक कला एवं संगीत का आयोजन किया गया
- ✔ राज्य सरकार के कार्यकर्ताओं जैसे आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षा मित्रों के माध्यम से घर–घर जाकर सूचना दी गई तथा प्रोत्साहित किया गया
- ✔ महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसिद्ध लोकप्रिय चेहरे जैसे एम सी मैरी कॉम, सायना नेहवाल की राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्ति की गई

युवा एवं भावी निर्वाचकों के लिए

- ✔ छात्रों को फेसिलीटेट करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के कैम्पस एम्बैसेडर नियुक्त करना
- ✔ पंजीकरण फार्मों को कॉलेज प्रवेश फार्मों के साथ उपलब्ध करवाना
- ✔ पंजीकरण फार्मों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर ड्राप बॉक्स लगवाना
- ✔ शैक्षणिक संस्थानों में पंजीकरण तथा मॉक मतदान करवाना
- ✔ युवा तथा बच्चों को शिक्षित करने के लिए मतदाता शिक्षाप्रद मनोरंजक सामग्री – एनीमेशन फिल्मों, कार्टून स्ट्रिप्स, चित्र पुस्तिकाओं, कम्प्यूटर खेल, बोर्ड खेल
- ✔ नीतिपरक मतदान के विषय पर कहानियां तथा मताधिकार के महत्व को बच्चों की लोकप्रिय पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया
- ✔ मतदाता शिक्षा तथा निर्वाचक साक्षरता को वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के भाग के रूप में शामिल करना

सर्वसमावेशन

- वरिष्ठ नागरिकों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग कतारें, बैठने का प्रबंध, व्हील चेयरों, रैम्पों, मतदान केन्द्रों में सहायता, मतदान केन्द्रों पर पहुँचने के लिए वाहनों की सुविधा
- जनजाति समूहों एवं अन्य दुर्गम समुदायों को शामिल करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने संबंधी विशेष उपाय, पारस्परिक संवाद तथा मतदाता शिक्षा
- दुर्गम/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को शामिल करने के लिए विशेष उपाय, पारस्परिक संवाद, मतदाता शिक्षा तथा उनके नज़दीक मतदान केन्द्र
- प्रवासियों, विशेष रूप से श्रमिकों, तथा निराश्रित व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए विशिष्ठ प्रयास, पंजीकरण हेतु विशेष अभियान तथा जागरूकता अभियान
- गांव के साप्ताहिक बाजारों, वन उत्पाद लघु संग्रहण केन्द्र में पंजीकरण काउन्टर
- मेले एवं त्योहारों में मतदाता सूचना तथा सुविधा का आयोजन
- गैर सरकारी संस्थानों के साथ समन्वयन

सेवा कर्मिकों के लिए

- पंजीकरणय क्षमता के विकास एवं जागरूकता के लिए सशस्त्र बलों में नोडल अधिकारी
- शिक्षा एवं जागरूकता के लिए सशस्त्र बलों के इन्ट्रानेट में मतदाता सूचना तथा मतदाता शिक्षा
- मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के समन्वय से विशेष शिविर
- वार्षिक दिवस के कार्यक्रमों तथा अन्य अवसरों पर निर्वाचक साक्षरता विषय शामिल करना
- सैनिकों तथा अधिकारियों के लिए निर्वाचक साक्षरता नियमित पाठ्यक्रमों में शामिल करना
- आंतरिक न्यूज लेटर तथा पत्रिकाओं में मतदाता सूचना
- विदेश में राजदूतवास एवं अधिकारियों को सेवा मताधिकारों पर जागरूक करना
- विदेश मंत्रालय के सभी प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रमों में डाक मतपत्रों/सेवा मतदाताओं पर निर्वाचक साक्षरता मॉड्यूल को शामिल करना
- यह सुनिश्चित करना कि विदेश में भारतीय मिशन अपने कर्मचारियों को सेवा मतदाताओं के रूप में प्रासंगिक फॉर्म उपलब्ध हों

सुविधाओं में वृद्धि

- ✔ मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं – प्रत्येक मतदान केन्द्र में रैम्प, शौचालय, बिजली, छाया एवं पीने का पानी
- ✔ आदर्श मतदान केन्द्र – प्रतीक्षा हॉल, चिकित्सा सेवा, बच्चों के लिए खेल का क्षेत्र
- ✔ सूचना एवं सेवाओं के लिए मतदाता सुविधा केन्द्र
- ✔ टोल–फ्री हेल्पलाइन ताकि लम्बी लाइनें न लगे
- ✔ मतदान दिवस से पहले प्रत्येक मतदाता के लिए उसके निवास स्थान पर मतदाता पर्ची का वितरण
- ✔ मतदान समय की अवधि बढ़ाना
- ✔ एस एम एस तथा रेडियो, टेलीविजन तथा संबोधन प्रणाली के माध्यम से मतदान दिवस के अनुस्मारक भेजना
- ✔ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जानकारी देने हेतु कैम्प लगाना
- ✔ बैंकों और डाक घरों कॉलेजों इत्यादि सहित मुख्य स्थानों पर नामांकन फॉर्म उपलब्ध कराना

व्यापक जनचेतना

- ✔ **मतदान शपथः** स्कूल के विद्यार्थियों के माध्यम से माता–पिता के लिए संकल्प पत्र/वचन पत्र व शपथ ग्रहण समारोह, हस्ताक्षर अभियान, लोकतांत्रिक दीवार
- ✔ **मतदान के लिए निमंत्रणः** वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारियों से मत डालने के लिए लोगों को निमंत्रण पत्र, समाचार पत्रों में निमंत्रण संदेश, त्योहारों के माध्यम से जुड़ना
- ✔ **कार्यक्रमः** मैराथन, मानव श्रृंखला, मानवीय रचनाएं, खेलकूद कार्यक्रम जैसे क्रिकेट मैच, कबड्डी मैच, नवीन क्रियाकलाप जैसे बाईक रैलियां, पतंग उड़ान, लेजर लाइट शो
- ✔ **प्रतियोगिताः** ग्रामीण महिलाओं को लक्षित करके लोक कला जैसी प्रतियोगिताएं, संगीत समारोह, वाद–विवाद, भाषण, निबन्ध लेखन

चित्र पुस्तिका गर्व से बने मतदाता

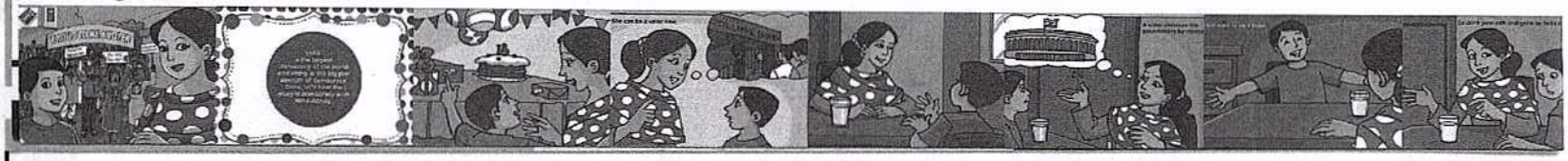

आई सी टी और सोशल मीडिया के प्रयोग में वृद्धि

- प्रमाणीकरण, शुद्धिकरण, पंजीकरण सुविधा के लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल
- इंटरेक्टिव मतदाता वेबसाइट और स्वीप पोर्टल
- मतदाता सूची में नाम ढूंढ़ने के लिए सुविधा – वेबसाइट, एस एम एस, हेल्पलाईन, इंटरनेट पर मतदान केन्द्र का पता लगाना
- निर्वाचनों और लोकतंत्र विषयों पर ऑनलाइन प्रतियोगिता
- सोशल मीडिया और नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक और ट्वीटर के माध्यम से पारस्परिक वार्तालाप एवं सूचना
- निर्वाचनों एवं मतदान के लिए समर्पित यू ट्यूब चैनल

पारस्परिक ज्ञान विनिमय

- सिविल सोसाइटी संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के साथ परामर्श
- ज्ञान को साझा करने के लिए विश्व में अन्य निर्वाचन प्रबन्धन निकायों के साथ कार्यशालाएं
- सर्वोत्तम पद्धतियों के ज्ञान एवं आदान–प्रदान के लिए निर्वाचन तंत्र के कार्यकर्ताओं के साथ पुनरीक्षा बैठक एवं गोष्ठी
- पारस्परिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

वर्ली लोक चित्रकला पर आधारित मतदाता शिक्षा लघु फिल्म, गुजरात